क्रम संख्या–64

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग

संख्या वे० आ०–343/दस–48 (एम)–1981

लखनऊ, दिनांक 14 फरवरी, 1983

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को कार्यालय ज्ञाप संख्या वे० आ०–1842/दस–48(एम)–1981, दिनांक 25 नवम्बर, 1981 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में सेलेक्शन ग्रेड की अनुमन्यता के लिए जो मानदण्ड निर्धारित किए गए थे, उनके सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों से कुछ बिन्दुओं पर शासन से मार्गदर्शन देने की अपेक्षा की गई है। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25–11–81 में यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि सेलेक्शन ग्रेड नियमित रूप से नियुक्त उसी कर्मचारी को ही स्वीकृत किया जायगा जिसने अपने साधारण ग्रेड में संबंधित शासनादेश में निर्धारित वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। इस सम्बन्ध में सम्यक् रूप से विचारोपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि सेलेक्शन ग्रेड की अनुमन्यता के लिए "नियमित सेवा" से तात्पर्य ऐसी सेवा से है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा नियमों/शर्तों के अनुसार किये गये चयन के फलस्वरूप नियुक्त किसी कर्मचारी द्वारा की गयी हो। अल्प अवधि के लिए, अवकाश अवधि के लिए अथवा तदर्थ रूप से नियुक्ति पर किसी कर्मचारी द्वारा गई सेवा को "नियमित सेवा" नहीं माना जायेगा और "नियमित सेवा" की अवधि का आगणन उस तिथि/वर्ष से किया जायेगा, जिसके आधार पर किसी कर्मचारी की अपने संवर्ग के ज्येष्ठता निर्धारित की गयी हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सेलेक्शन ग्रेड की अनुमन्यता के लिए कर्मचारियों का चयन संवर्ग में ज्येष्ठता सूची के क्रम में किया जायेगा, अर्थात् कनिष्ठ कर्मचारी को, चाहे उसकी सेवा अवधि अधिक भी हो, तब तक सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक उससे ज्येष्ठ कर्मचारी सेलेक्शन ग्रेड के लिए निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण नहीं कर लेता।

2—अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त ज्ञाप दिनांक 25–11–81 में प्रसारित इन आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना अत्यावश्यक है कि ऐसे कर्मचारी को, जो दिनांक 1–7–79 को अथवा 1–7–79 एवं 29–9–81 के मध्य पुराने वेतनमानों में सेलेक्शन ग्रेड पा चुका हो, नये सेलेक्शन ग्रेड में निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के एक वर्ष बाद ही अगली वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाय।

3—अधोहस्ताक्षरी को यह भी सूचित करने का निदेश हुआ है कि द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर नए वेतनमानों के आदेश विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए जा चुके हैं। अतः अब किसी भी मामले में पुराने सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति न की जाय।

सचिवालय के समस्त अनुभाग।

सत्य प्रकाश गुप्ता,
संयुक्त सचिव।

———